

न्यायालय तहसीलदार, सूरजगढ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी : स्वाति आर.टी.एस

मिसल नं.- 35/2023

सरकार

बनाम

मुकेश, लीलम पुत्री बजरंग, संजय पुत्र  
बजरंग, कमला पत्नी बजरंग, जाति कुम्हार  
निवासी भावठडी तहसील सुरजगढ

किस्म मुकदमा-अन्तर्गत धारा 91 भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक: 22.06.2023

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। इस प्रकरण में सक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायल मुकेश, लीलम पुत्री बजरंग, संजय पुत्र बजरंग, कमला पत्नी बजरंग, जाति कुम्हार निवासी भावठडी तहसील सुरजगढ द्वारा रोही मौजा भावठडी की राजकीय भूमि खसरा नम्बर 1386/470 के कुल रकबा 0.0192 है। किस्म गै. मु. रास्ता में से 0.0192 है। भूमि पर लकड़ियों का मरीड़ा कर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गयी। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को नोटिस जारी किया गया गैर सायल ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रस्तुत किया। गैर सायल के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अतः रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायल को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उनके विरुद्ध बेदखल करने के आदेश दिए जाते हैं। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 6 रूपए कायम किया जाता है।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवायी जावे। पटवारी/गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतु लिखा जावे। मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.06.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रा० ले० सं० 4 के बल में 18 पर  
वर्ष 2024 में रूपए 6.61 कायम किए  
लेखाकार



(स्वाति)

तहसीलदार, सूरजगढ